न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 105/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/00106)

1. मुखी पुत्री रूपा पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज
3. कृष्ण कुमार
4. बलदेव

(2–4) पि.भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर

5. भागीरथ पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. नरसिह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
7. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
8. जयपाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
9. समेशता देवी पि. ओमप्रकाश पुत्र पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
10. मांगीलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. आशकरण पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. विद्यादेवी पि. रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
13. राकेश पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर
14. महेन्द्र पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
15. साहबराम पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
16. भीमाराम पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

17. कमला पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
18. सीता पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
19. शारदा पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।

असल रेस्पोडेंट्स

20. रामेश्वर पुत्र रूपा पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी नुआ तहसील भादरा।
(फौत होने पर आदेश दिनांक 23.03.2021 द्वारा नाम हटाया गया)
21. आदराम पुत्र रूपाराम पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
22. विमला पुत्री रूपा पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4, 5
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 09.04.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ) के अपील सं. 15/2018 निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर में रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के नामान्तरण संख्या 1732 दिनांक 31.03.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरण को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.10.2020 द्वारा अपील खारिज कर दी। आदेश दिनांक 29.10.2020 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 व नामान्तरकरण सं. 1732 दिनांक 31.03.2004 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 6 ता 19 एवं 21, 22 के निमित साधारण नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि नामान्तरण संख्या 1732 दिनांक 31.03.2004 को हुआ। दो गांवो की जमीन देईदास और भूकरका की है। देईदास की भूमि खसरा नं. 260 रकबा 32 बीधा 9 बिस्वा व खसरा नं. 448 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा तथा भूकरका की भूमि खसरा नं. 296 रकबा 12.191 हैक्टेयर भूमि है। उक्त भूमि गणेश की थी। फिर लेखू इसका पुत्र हुआ लेखू के दो पुत्रिया रूपा और तानी हुई, तानी के भागीरथ और रूपा के मुखी अपीलान्ट हुई। दिनांक 10.04.1985 को रूपा फौत हो गई। तानी ने रूपा का हक मारने के लिए अपने पुत्र भागीरथ से मिलकर भूमि अपने व पुत्र भागीरथ के नाम करवा ली। यदि तानी का हिस्सा बनता है तो रूपा का भी हक था ना कि अकेली तानी का। इन अलग अलग नामान्तकरण से भूमि अपने नाम करवा ली। दिनांक 22.05.1987 को वसीयत द्वारा भूमि भागीरथ के नाम करवा ली व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दावा कर दिनांक 30.05.2002 को डिक्री करवा लिया। इसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी में अपील करने पर दिनांक 27.03.2018 को अपील स्वीकार हो गई व रूपा का हक मानते हुए दूसरे वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। ये सभी नामान्तकरण गलत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 39 गैर खातेदारी भूमि का नामान्तकरण नही हो सकता है। अपीलाधीन भूमि पैतृक भूमि है, विभाजन नही हुआ है। इस कारण दस्तावेज व वसीयत शून्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनाक 29.10.2020 व नामान्तकरण सं. 1273 दिनांक 21.11.2000 निरस्त किया जावे। **अपीलान्ट्स** के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2007 पृष्ठ 672 , RRD 1995 पृष्ठ 27, RRD 1995 पृष्ठ 557, RRD 2012 पृष्ठ 104, RRD 2008 पृष्ठ 520, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त विवादित भूमि पर डिक्री के आधार पर नामान्तकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुवे है, जो सक्षम न्यायालय के डिक्री के निरस्त होने से ही नामान्तकरण निरस्त हो सकते है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील चल रही है। सिविल कोर्ट में वसीयत एवं दानपत्र को खारिज करने के लिए भी दावा चल रहा है, उसका निस्तारण आज तक हुआ नही है। जो कुछ भी तैय होगा व दावा में तैय हो जायेगा। अतः अपीलान्ट की अपील दाखिल दफ्तर की जावे या खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के अपील सं. 15/2018, के निर्णय दिनांक 29.10.2020 व रोही मोजा भूकरका तहसील नोहर के नामान्तकरण संख्या 1732 दिनांक 31.03.2004 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 व नामान्तकरण संख्या 1732 दिनांक 31.03.2004 को निरस्त करने का निवदेन किया किया गया है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा वाद निर्णित किए जाने की दशा में नामान्तकरण सं. 1732 दिनांक 31.03.2004 अस्तिव्व में आया, उक्त नामान्तरकरण मूलतः उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा इजराय संख्या 103 क्रमांक 1895 दिनांक 16.02.2004 की अनुपालना में भरा गया है। उपखण्ड अधिकारी नोहर के उक्त निर्णय को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2018 के जरिए अपास्त कर दिया गया। चूंकि मूल आदेश जिसके आधार पर नामान्तरकरण भरा गया वह अब अस्तित्व में नही रहा है ऐसी स्थिति मे उक्त नामान्तरकरण प्रभाव शून्य हो जाता है। उक्त विवेचन विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 को खारिज किया जाता है। तथा नामान्तरकरण संख्या 1732 दिनांक 31.03.2004 को भी निरस्त किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर